केन्द्र-राज्य संबंध-(Centre-State Relations)

भारत में संघवाद का स्वरूप 'सहयोगी संघवाद' है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। ये शक्तियां हैं संघीय शक्ति, राज्य शक्ति, समवर्ती शक्ति तथा अवशिष्ट शक्ति। संघ और राज्यों के संबंध को तीन भागों में बांटा जा सकता है- 1विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध।

केन्द्र-राज्य विधायी संबंध-

केन्द्र एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, एवं समवर्ती सूची का नाम दिया गया है।

1- संघ सूची- इसमें 97 विषय शामिल हैं जैसे- रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक,तार, टेलीफोन, बेतार, युद्धनिर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि।

2- राज्य सूची - इसमें 66 विषय हैं जैसे- पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, सड़कें।

3- समवर्ती सूची - इसमें ~~52~~ 47 विषय हैं जैसे- फौजदारी, निवारक निरोध, विवाह, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व।

1- राज्यसूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर- अनु० 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्यसूची में निहित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

2- राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करते पर- अनु० 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाये, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है।

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

3- संकटकालीन घोषणा होने पर (250) - संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है।

4- विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु (253) - यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा।

5- राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर (356) - यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाये या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाये तो राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है।

केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंध-

संविधान के अंतर्गत केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों का विश्लेषण राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संघीय सरकार को राज्यों के संबंध में कतिपय प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।-

1- राज्यों का दायित्व - संविधान के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे।

2- केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है- राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों व पुलों आदि का निर्माण साधारणतया केन्द्रीय सरकार ही करती है, परन्तु केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मार्गों के निर्माण व उचित रख-रखाव के लिए वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके।

3- राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है।

Scanned by TapScanner

4- केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गये अंतिम निर्णयों को लागू करें।

5- संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्व पूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएं। संघ को इन सेवाओं के सदस्यों को राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार होता है।

6- राज्यपाल - राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रकार से वे राज्यों में केन्द्र के एजेन्ट के नाते कार्य करते हैं। उनके माध्यम से केन्द्रीय सरकार राज्यों के शासन पर अंकुश रख सकती है।

केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध-

1- भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और द्वितीय करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है।

2- केन्द्र-राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान देता है। जैसे कुटीर उद्योगों का विकास, सूखा, बाढ़ एवं भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाएं, जनजातियां आदि।

3- ऋण लेने संबंधी उपबंध - संविधान केन्द्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को प्राप्त होता है, परन्तु वे विदेशों से ऋण नहीं ले सकते।

4- करों से विमुक्ति - राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे।

5- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण - भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय

Scanned by TapScanner

मंत्रिमण्डल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उसकी निष्पक्ष रूप से जाँच करता है।

6- वित्तीय संकटकाल- वित्तीय संकट काल के दौरान राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान, आदि संप के करों की आय में भाग बंटाने से संबंधित हो।

केन्द्र-राज्य तनाव के मामले-

1- राज्यपाल का पद
2- नौकरशाही
3- कानून और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों को केन्द्रीय निर्देश।
4- आर्थिक नियोजन
5- राज्यों की ऋणग्रस्तता
6- वित्त आयोग की भूमिका
6- अंतराज्यीय व्यापार

⇒ सरकारिया आयोग का सुझाव -

Scanned by TapScanner